


::आदेशः

प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 17.10.19 के प्रस्ताव संख्या 05 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-2/2019/जी-1-37/दस-2019 दिनांक 22.08.19 एवं बैंक की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बैंक में दिये जा रहे निम्न भत्तों को बैंक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने तक तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

- 1 द्विभाषीय प्रोत्साहन भत्ता।
- 2 कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रोत्साहन भत्ता।
- 3 केश हैंडलिंग भत्ता।
- 4 स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता।
- 5 आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव संवर्ग को दिये जा रहे विशेष भत्ता।
- 6 फोटो कापी भत्ता।
- 7 साइक्लोस्टाइल भत्ता।


(आन्द्रा वामसी), आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ

आदेशांक 20046/स्थापना/2019-20

दिनांक : 4.11.19

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त शाखा/वरि०/क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
3. प्राचार्य (प्रशि०के०) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
4. वरि०प्रबन्धक(लेखा) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
5. स्टाफ आफीसर, मा० सभापति कैम्प, मा० सभापति महोदय को अवलोकनार्थ।
6. प्रबन्धक (आई०टी०सेल) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक की समस्त शाखा/जनपदीय/क्षेत्रीय कार्यालय की ई-मेल पर अपलोड कराने हेतु।


प्रबन्ध निदेशक